

## प्रेस नोट दिनांक- 30.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

### थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह रि0का0 अमरेश यादव व रि0का0 अनुराग पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/शान्ति व्यवस्था/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अपराधी के दौरान माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0, लालगंज, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र, परिवाद सं0 15/25 धारा 82, 316, 351 बीएनएस से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त याकूब अली पुत्र अयूब अली, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम दौलत का पुरवा मजरे अमांवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर ग्राम दौलत का पुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- याकूब अली पुत्र अयूब अली, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम दौलत का पुरवा मजरे अमांवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह रि0का0 अमरेश यादव व रि0का0 अनुराग पाण्डेय, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत 03 अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस की कार्यवाही, पूर्व विवाद को लेकर पुनः वाद-विवाद एवं फौजदारी पर आमादा होने पर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2026 को लक्ष्मीगंज बाजार में ई-रिक्शा खड़ा करने को लेकर हुए विवाद के संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 293/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 333 बीएनएस बनाम 01 नामजद व 03 अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण की रंजिश को लेकर उभय पक्षों के मध्य पुनः वाद-विवाद की सूचना पर थाना जेठवारा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, जिस पर प्रथम पक्ष शांत हो गया, जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा पुनः गाली-गलौज करते हुए फौजदारी पर आमादा होने पर शांति एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत 03 व्यक्तियों 1. अजय कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम रामपुर बजहा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष, 2. आशीष पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गदियानी डीवा थाना सोरांव जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष, 3. राकेश पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम पुरखीपुर थाना सोरांव जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 40 वर्ष को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार/निरोधात्मक कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़**

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कंधई के उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह रि0का0 चन्दन कुमार कन्नौजिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/शान्ति व्यवस्था/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित व सक्रिय अपराधी/NBW वारण्टी के दौरान माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी प्रथम, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत NBW, मु0अ0सं0 209/05 धारा 458/380/411 भादवि थाना कंधई से सम्बन्धित 01 NBW वारण्टी अभियुक्त शैलेश कुमार उर्फ

ननकऊ मिश्र पुत्र रमाशंकर, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी ग्राम मेहदिया, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शैलेश कुमार उर्फ ननकऊ मिश्र पुत्र रमाशंकर, उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी ग्राम मेहदिया, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह रि0का0 चन्दन कुमार कन्नौजिया, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 471/2026 धारा 137(2), 87, 61(2)(a) बीएनएस, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 पवन कुमार वर्मा मय हमराह का0 विशाल गिरि व का0 पूर्णेन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0-03, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत ई-गिरफ्तारी वारण्ट, मु0अ0सं0 119/2022 धारा 02 अधिनियम की धारा 02 तथा अधिनियम 03 की धारा 03, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त सोनू वर्मा पुत्र रामप्रताप, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम सरायताल (बटिया), थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम सरायताल (बटिया) में गांव के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सोनू वर्मा पुत्र रामप्रताप, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम सरायताल (बटिया), थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 पवन कुमार वर्मा मय हमराह का0 विशाल गिरि व का0 पूर्णेन्द्र, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

रेलवे स्टेशन स्थित दुकान से मोबाइल चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को चोरी के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया, चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ में लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, चोरी एवं मारपीट जैसे विभिन्न अपराधों से संबंधित कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2026 को भदरी रेलवे स्टेशन स्थित दुकान पर वादी सो रहे थे। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। मोबाइल चोरी की जानकारी होने पर वादी एवं उनके साथियों द्वारा अभियुक्त को मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्त को थाना कुण्डा लाया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद हुआ।

थाना कुण्डा के उ0नि0 देव नारायण राम मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, रि0का0 विवेक यादव एवं पीआरवी कर्मचारी राजू सिंह चौहान व का0 हेका0 लोकनाथ द्वारा अभियुक्त रंजीत कुमार सरोज पुत्र रमेश सरोज, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम अखित्यारी कोटिला, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद हुआ।

उक्त घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 376/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रंजीत कुमार सरोज पुत्र रमेश सरोज, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम अखित्यारी कोटिला, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रंजीत कुमार सरोज पुत्र रमेश सरोज निवासी ग्राम अखितयारी कोटिला थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष के विरुद्ध आपराधिक इतिहास निम्नवत है-

1. मु0अ0सं0-185/2020, धारा-147, 148, 149, 323, 34, 506 भादवि, थाना-हथिगवां, जनपद-प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-144/2021, धारा-323, 325, 504, 506 भादवि, थाना-हथिगवां, जनपद-प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-256/2022, धारा-399, 401, 411 भादवि, थाना-हथिगवां, जनपद-प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0-07/2025, धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना-हथिगवां, जनपद-प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0-494/2024, धारा-380, 411, 457 भादवि, थाना-कुण्डा, जनपद-प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0-318/2022, धारा-380, 411, 457 भादवि, थाना-संग्रामगढ़, जनपद-प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0-376/2026, धारा-303(2)/317(2) भा0न्या0सं0, थाना-कुण्डा, जनपद-प्रतापगढ़।

बरामदगी-

चोरी का 01 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 देव नारायण राम, का0 उमाशंकर भारती, रि0का0 विवेक यादव, पीआरवी के राजू सिंह चौहान व का0 हेका0 लोकनाथ, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मांधाता पुलिस द्वारा हैसी बाजार में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/27.09.2026 की रात्रि में हैसी बाजार स्थित वादी विपुल पटेल की दुकान से इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किए जाने के संबंध में थाना मांधाता पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 305/331(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांधाता पुलिस द्वारा हैसी बाजार में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते

हुए, थाना मांधाता के उ0नि0 प्रभात वर्मा , उ0नि0 अनूप यादव मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मिश्रपुर जाने वाले रास्ते पर सन्त निरंकारी आश्रम के आगे से 03 अभियुक्तों 1. अनुपम पटेल पुत्र कृष्ण चन्द्र पटेल, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम परसरामपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़, 2. आदित्य यादव पुत्र राजकुमार यादव, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी ग्राम शोभीपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़, 3. सौरभ पटेल पुत्र संजय कुमार पटेल, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम परसरामपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

#### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 26/27.09.2026 की रात्रि में वादी की दुकान से उक्त सामान चोरी करना बताया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया।

#### बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके साथी के खपरैल के घर से चोरी का 03 अदद एम्पलीफायर, 06 अदद 15 इंच स्पीकर, 02 अदद मिक्सर, 57 पीस ट्वीटर एवं 01 अदद डिस्ट्रीब्यूटर बरामद किया गया। अभियुक्तों की जामा तलाशी से 03 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन (रियलमी, विवो एवं रेडमी) बरामद हुए। बरामद सामान की पहचान वादी मुकदमा विपुल पटेल द्वारा की गई।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रभात वर्मा, उ0नि0 अनूप यादव, हे0का0 रविशंकर यादव, का0 ज्वाला सिंह एवं का0 सर्वेश पाण्डेय, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

एसओजी टीम- प्रभारी श्री अमित चौरसिया, हे0का0 धनंजय राय, हे0का0 मोहित यादव, हे0का0 राजेन्द्र, का0 जगदीर सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय एवं का0 दुबे।